कार्यालय- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

मॉडल हाउस, मल्लीताल, नैनीताल।
ईमेल- ad.kumayunmandal@gmail.com

आदेश संख्या/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ 737 /2023–24 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2023

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 (यथासंशोधित) के नियम–16 में निहित प्राविधानों तहत विज्ञप्ति वर्ष 2019–20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक को स0अ0एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600, नया वेतन मैट्रिक्सः–44900–142400, लेवल–7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षक की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर संबंधित शिक्षक की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी, जिस हेतु संबंधित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।

विषय–व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र0सं0	शिक्षक का नाम/पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम एवं जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	भुवन चन्द्र जोशी, स0अ0	रा0जू0हा0 धारी	पिथौरागढ़	09.03.1972	रा0उ0मा0वि0 बस्तिया चम्पावत	रिक्त पद के प्रति

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0 / सेवाएं–3क(2) / अराज0 / 10980-92 / 2023–24 दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
06. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक)।
08. वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
09. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा संबंधी अभिलेखों का निम्नानुसार भली–भांति परीक्षण / सत्यापन कर लें, तभी संबंधित को कार्यभार ग्रहण / मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
    (क)– अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हों।
    (ख)– प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2019 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में न्यूनतम वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्सः– 44900–142400, लेवल–7 में कार्यरत हो।
    (ग)– शासनादेश / नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन / प्रशिक्षण योग्यता संबंधी उपबन्ध पूर्ण करता / करती हो।
11. संबंधित शिक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति नहीं की जायेगी, उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक / शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित शिक्षक संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों मूल प्रति (02 प्रमाणित छायाप्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
12. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त पदोन्नति आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल